

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, १४ सितम्बर, २०२३

अधिसूचना

का.आ. बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री सुरजीत कार्तिकेयन, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्री मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद द्वारा गठित अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा.सं. A-11011/04/2022-Ins.I]



(विनोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार